

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-1818/2014/जयपुर

नरपत सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह,
जाति-चारण, निवासी-70, करणी विवेक विहार,
गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर

....प्रार्थी

बनाम

उप पंजीयक,
तृतीय, जयपुर राजस्थान

.....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विरेन्द्र गोयल,
अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :- 05/06/2017

निर्णय

1. प्रार्थी(निगरानीकर्ता) द्वारा यह निगरानी कलक्टर(मुद्रांक) जयपुर वृत जयपुर द्वितीय (जिसे आगे "कलक्टर मुद्रांक" कहा जायेगा) के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.06.2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील आमेर स्थित सम्पति खसरा नं. 580/3 ग्राम राजावास, हरमाड़ा का लेखपत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक जयपुर तृतीय के समक्ष पेश हुआ। उप पंजीयक ने उक्त लेख पत्र को पंजीयन क्रमांक 2503 दिनांक 11.04.2012 पर पंजीबद्ध कर, संबंधित पक्षकार को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उप पंजीयक आमेर द्वारा सम्पति के मौके का निरीक्षण किया। उप पंजीयक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि रेण्डम मौका निरीक्षण अनुसार उक्त सम्पति की मालियत अधिक होती है, इस कारण अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत रेफरेंस कलक्टर मुद्रांक को पेश किया। कलक्टर मुद्रांक ने रेफरेंस दर्ज कर, संबंधित पक्षकार को कमी राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में किसी के उपस्थित नहीं होने पर, कलक्टर मुद्रांक ने एकतरफा आदेश दिनांक 04.06.2014 पारित करते हुए, उप पंजीयक द्वारा रेफरेंसानुसार मालियत आंकते हुए, कमी मुद्रांक, अधिभार, कमी पंजीयन शुल्क तथा शास्ति कुल रू0 1,97,000/- संबंधित पक्षकार से वसूल करने के आदेश दिये। कलक्टर मुद्रांक के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।
2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उप पंजीयक द्वारा विक्रय दस्तावेज के लगभग 10 माह पश्चात उक्त सम्पति का मौका निरीक्षण दिनांक 15.02.2013 को किया। उप पंजीयक द्वारा प्लाटिंग होने का आधार लेकर आवासीय दर से मालियत आंकते हुए, कलक्टर मुद्रांक के समक्ष रेफरेंस पेश किया। कलक्टर मुद्रांक ने प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया न ही सुनवाई का मौका देते हुए,

लगातार.....2

एकतरफा आदेश पारित कर, उपरोक्त तथ्यों को आधार मानते हुए रेफरेंस को स्वीकार किया है। उनका निवेदन था कि कलक्टर मुद्रांक के आदेश को अपास्त किया जावे एवं प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जावे।

3. अप्रार्थी के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि कलक्टर(मुद्रांक) ने प्रार्थी को नोटिस जारी किया है लेकिन नोटिस जारी उपरान्त भी प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर, एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है। उनका निवेदन था कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जावे।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उप पंजीयक द्वारा बिक्रीत सम्पति का लगभग 10 माह पश्चात मौका निरीक्षण यानि दिनांक 15.02.2013 को किया है। कलक्टर(मुद्रांक) ने प्रार्थी को नोटिस जारी किया है लेकिन प्रार्थी को तामील नही होने से प्रार्थी कलक्टर(मुद्रांक) के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। न्यायहित में प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। अतः कलक्टर(मुद्रांक) को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पुनः आदेश पारित करे।

5. फलतः कलक्टर(मुद्रांक) जयपुर वृत जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 04.06.2014 को अपास्त अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थी (निगरानीकर्ता) द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर, प्रकरण कलक्टर(मुद्रांक) को उपरोक्त निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।



(खेमराज)
अध्यक्ष